पत्र संख्या : 7ब/4711 यो०-03/14 · 64

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

प्रशासक,
सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/
मुख्य अभियंता, चाण्डिल कम्पलेक्स;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक :- 8-7-14

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग, योजना मुख्य शीर्ष-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूॅजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-56-बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 44 लघु निर्माण कार्य, विपत्र कोड-49P471101796560544, के अंतर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष-2014-15 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूॅजीगत परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आबंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूॅजीगत परिव्यय/ 01-बाढ़ नियंत्रण,	लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-56- बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण 44 लघु निर्माण कार्य / 49P471101796560544	**150.00**

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष 2014-2015 के बजट उपबंध **रू० 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख) मात्र** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।

5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौररिया)	(सुनील कुमार सिन्हा)
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि०)

7. सरकारी नियम/ अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

8. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. इस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

7/7/14

(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 64 रॉची, दिनांक :– 8-7-14

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड पो०– **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/जमशेदपुर** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

7/7/14

(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 64 रॉची, दिनांक :– 8-7-14

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉची/अभियंता प्रमुख –**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुनील कुमार सिन्हा)	7/7/14 **(अविनाश कुमार)**
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि०)	**सचिव**

विभागीय पत्रांक......64...... दिनांक ....8-7-14.... का अनुलग्नक परिशिष्ट – 1

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष–01–बाढ़ नियंत्रण

लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,

उप शीर्ष–56– बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निर्माण

विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 44 लघु निर्माण कार्य

विपत्र कोड– 49P471101796560544

वित्तीय वर्ष 14–15 में बजट उपबंध ₹ 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र॰	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2014 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2014–15 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आबंटन	वर्त्तमान आबंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, जमशेदपुर	चाण्डिल कम्पलेक्स	जमशेदपुर में सुवर्णरेखा नदी के बांये तट पर कपाली नाला पर Anti flood schmes का निर्माण कार्य।	191.35992	08/10–11 दि॰ 04.06.10	71.67	0.00	10.00	10.00	40883	
2			जमशेदपुर में सुवर्णरेखा नदी के बांये तट पर दाइगुटू नाला के पास कटाव निरोधक कार्य	208.21000	30/08–09 दि॰ 02.03.2009	41.78	0.00	8.00	8.00		
3			जमशेदपुर में सुवर्णरेखा नदी के बांये तट पर सुभाष कॉलोनी के पास कटाव निरोधक कार्य	208.21000	30/08–09 दि॰ 02.03.2009	68.69	0.00	10.00	10.00		
4			जमशेदपुर में सुवर्णरेखा नदी के बांये तट पर लक्ष्मण नगर (मानगो) के पास कटाव निरोधक कार्य	393.25000	31/08–09 दि॰ 02.03.2009	355.79	0.00	17.00	17.00		
5			सरायकेला खरसांवा जिलान्तर्गत सालडीह नाला के नजदीक खरकई नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य के गेटों का कार्य	240.21000	52/11–12 दि॰ 05.03.2012	101.43	0.00	5.00	5.00		
6			सरायकेला खरसांवा जिलान्तर्गत सालडीह नाला के नजदीक खरकई नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य	240.21000	52/11–12 दि॰ 05.03.2012	101.43	0.00	20.00	20.00		
7			जमशेदपुर जिलान्तर्गत भाटिया बस्ती नाला पर खरकई नदी के बांये तट पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य के गेटो का कार्य	477.68000	51/11–12 दि॰ 05.03.2012	394.69	0.00	20.00	20.00		

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(अविनाश कुमार)
सचिव

(राशि लाख ₹ में)

क्र॰	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2014 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2014–15 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आबंटन	वर्त्तमान आबंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, जमशेदपुर	चाण्डिल कम्पलेक्स	जमशेदपुर जिलान्तर्गत भाटिया बस्ती नाला पर खरकई नदी के बाये तट पर बाढ सुरक्षात्मक कार्य	477.68000	51/11–12 दि॰ 05.03.2012	394.69	0.00	20.00	20.00	40883	
9			जमशेदपुर जिलान्तर्गत इस्लाम नगर नाला के पास खरकई नदी के दायें तट पर बाढ सुरक्षात्मक कार्य के गेटों का कार्य	274.68000	53/11–12 दि॰ 05.03.2012	219.49	0.00	20.00	20.00		
10			जमशेदपुर जिलान्तर्गत इस्लाम नगर नाला के पास खरकई नदी के दायें तट पर बाढ सुरक्षात्मक कार्य	274.68000	53/11–12 दि॰ 05.03.2012	219.49	0.00	20.00	20.00		
						कुल योग	**0.00**	**150.00**	**150.00**		

आवंटित राशि – ₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र।

(ओंकार नाथ) सहायक अभियंता	(मुक्ति साधन चौरसिया) उप सचिव (अभि॰)	(सुनील कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि॰)	(अविनाश कुमार) सचिव

64
8-7-14